

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16, 1982/ पौष 26, 1903
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16, 1982 / PAUSA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(आर्थिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1982

का. आ. 24(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (आर्थिक विकास विभाग) के

आदेश सं. का. आ. 325(अ) तारीख 18 मई, 1978 का निम्नलिखित और, संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में सदस्य (अंशकालिक) शीर्षक के नीचे मधु सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

2. श्री पी. वी. राजारामन, निवेशक, रसायन और उर्वरक विभाग, नई दिल्ली ।

[फा. सं. 4(1)/77-सीमा शुल्क]

सी. के. मोदी, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल आदेश का.आ. 325 (अ) तारीख 18 मई, 1978 का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है, देखिए

- (1) का.आ. 69(अ) तारीख 5-2-1979
- (2) का.आ. 151(अ) तारीख 21-3-1979
- (3) का.आ. 524(अ) तारीख 11-9-1979
- (4) का.आ. 233(अ) तारीख 31-3-1980
- (5) का.आ. 387(अ) तारीख 5-6-1980
- (6) का.आ. 777(अ) तारीख 12-9-1980
- (7) का.आ. 941(अ) तारीख 5-12-1980
- (8) का.आ. 520क(अ) तारीख 29-6-1981
- (9) का.आ. 782(अ) तारीख 9-11-1981

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1982

S.O. 24(E).—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 325(E) dated the 18th May, 1978, namely :—

In the said order, under the heading "Member (Part-time)" for item No. 2 any entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

2. Shri P. V. Rajaraman, Director, Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi.

[F. No. 4(1)/77-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

Note :—The principal order S.O. 325(E) dated the 18th May, 1978 has been amended vide (i) S.O. 69(E) dated 5-2-1979 (ii) S.O. 151(E) dated 21-3-1979 (iii) S.O. 524(E) dated 11-9-1979 (iv) S.O. 233(E) dated 31-3-1980 (v) S.O. 387(E) dated 5-6-1980 (vi) 777(E) dated 12-9-1980 (vii) S.O. 941(E) dated 5-12-1980 (viii) S.O. 520A(E) dated 29-6-1981 (ix) S.O. 792(E) dated 9-11-1981.